



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 4620/2026

प्रीति उर्फ रीता एवं एक अन्य

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : - संजीव कुमार मिश्रा, अभिनव नाथ त्रिपाठी
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार अवस्थी द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं, अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार अवस्थी, और राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रार्थीगण की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- महिगवां, जिला - लखनऊ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 103(1) और 238 के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 0048/2026 के विचारण के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि सूचनाकर्ता के बेटे सौरभ को उसका मित्र अखिलेश (सह-अभियुक्त एवं प्रार्थी संख्या 2 का भाई) और विपिन, केरल राज्य में काम दिलाने के बहाने दिनांक 10-04-2026 को सुबह लगभग 06:30 बजे घर से ले गए थे और अखिलेश की भाभी प्रीति (प्रार्थी संख्या 1) भी उनके साथ गई थी। आगे यह आरोप है कि सूचनाकर्ता के बेटे सौरभ ने दिनांक 10-04-2026 की रात 12:18 बजे प्रीति के मोबाइल नंबर से सूचनाकर्ता से बात की और अगले दिन सूचनाकर्ता के परिवार को बुलाया। तब सूचनाकर्ता अखिलेश के घर गया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी और उसके बाद दिनांक 13-04-2026 को थाने में प्रार्थनापत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की गई और दिनांक 19-04-2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी संख्या 1 एक महिला है, जिसकी गिरफ्तारी के समय उसका एक महीने का बच्चा था और प्रार्थी संख्या 2, प्रार्थी संख्या 1 का पति है, जो मौके पर उपस्थित नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में एक दुर्घटना हुई थी, जिसके लिए तमिलनाडु राज्य में दिनांक 12-04-2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मृतक का शव बरामद किया गया था।

उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में मृतक की हत्या का कोई आशय या किसी प्रकार का हेतुक नहीं था और मृतक की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि वह एक दुर्घटना का शिकार हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु राज्य में तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें मृतक की हत्या का कोई कारण नहीं बताया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रारंभ में दिनांक 16-04-2026 को मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जब यह बात सूचनाकर्ता के संज्ञान में लाई गई कि सौरभ की मृत्यु हो चुकी है, तो हत्या की कहानी गढ़ते हुए दिनांक 19-04-2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में यह घटना तमिलनाडु राज्य में हुई थी और वहां पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और विवेचना अभी भी जारी है, इसलिए बाद में दर्ज की गई यह प्रथम सूचना

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिपोर्ट अनुमेय नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी संख्या 1 मृतक के साथ यात्रा कर रही थी और अपने पति से मिलने तमिलनाडु राज्य जा रही थी तथा उसके बाद मृतक को किसी कार्य से केरल राज्य जाना था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में हत्या का आशय पूर्ण रूप से अनुपस्थित है और यह दुर्घटना से हुई मृत्यु का मामला है, जिसे हत्या का रंग दे दिया गया है और प्रार्थी बिना किसी गलती के परेशानी भोग रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थी दिनांक 20-04-2026 से जेल में बंद हैं और उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे वचन देते हैं कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश राज्य में विवेचना की कार्यवाही में तथा अनुवर्ती चरण में विचारण की कार्यवाही में सदैव सहयोग करेंगे। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक का शव बरामद कर लिया गया है और प्रार्थीगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उन्होंने अपराध किया है, इसलिए उनका निवेदन है कि प्रार्थीगण किसी अनुतोष के अधिकारी नहीं हैं।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के वक्तव्य का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और अभिलेख पर प्रस्तुत की गई सामग्री का परिशीलन करने पर प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना से हुई मृत्यु का मामला है क्योंकि वर्तमान मामले में हत्या का आशय और हेतुक पूर्ण रूप से अनुपस्थित है; प्रार्थीगण का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है; वे दिनांक 20-04-2026 से जेल में बंद हैं, साथ ही प्रार्थीगण ने वचन दिया है कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दृष्ट्या संतुष्टि, दंड के सुधारात्मक सिद्धांत तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश के दृष्टिगत और मामले के गुण-दोषों पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिये एक उपयुक्त मामला पाता हूँ।

उपरोक्त अपराध में संलिप्त प्रार्थीगण- प्रीति उर्फ़ रीता एवं कमलेश को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जाए:-

(1) प्रार्थीगण विवेचना या विचारण के दौरान साक्षियों को डराकर/धमकाकर या किसी अन्य तरीके से अभियोजन साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेंगे;

(2) प्रार्थीगण इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षी उपस्थित होंगे, तो वे साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे। वे व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत की गई प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। पर्याप्त कारण के बिना उनकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा;

(3) प्रार्थीगण (i) विचारण के प्रारंभ होने, (ii) आरोप विरचित होने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे; और

(4) यदि प्रार्थीगण विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और प्रार्थीगण ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारण न्यायालय उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

प्रतिभूगण की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाएगा और उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने और प्रार्थीगण को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां कठोरतापूर्वक इस जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी प्रकार के प्रभाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

25 जून, 2026

एकेएस

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।